



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भारराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/ मानक दस्तावेज/ 2026 नीति परिपत्र सं. 11.113/2026 दिनांक 26th सितम्बर 2026

{{ई-ऑफिस फाइल सं. GUJDIV-19/3/2026-Gujarat Division (कम्प्यूटर सं. 304898 पर लिया गया निर्णय)}}

NHA/ Policy Guidelines/ Standard Documents/ 2026

Policy Circular No. 11.113 / 2026 dated 26th September, 2026

{{(Decision taken on E-Office File No. GUJDIV-19/3/2026-Gujarat Division (Comp No. 304898)}}

विषय: अत्यंत प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए संशोधित तकनीकी पात्रता मानदंड [ईपीसी मोड पर प्रदान की जाने वाली परियोजना के लिए आरएफपी का खंड 2.2.2.2(ii)] को अपनाने के संबंध में।

Sub: Adoption of Modified Technical Eligibility Criteria [Clause 2.2.2.2(ii) of RFP for the Project to be awarded on EPC mode] for Utmost Priority Projects - reg:-

पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय राजमार्ग/ द्रुतमार्ग परियोजनाओं का समय पर पूर्ण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना का निष्पादन/ पूर्ण होने में देरी न केवल प्रयोक्ता शुल्क के संग्रह को विलंबित करती है जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान होता है, बल्कि प्रयोक्ताओं को असुविधा भी होती है और साथ ही प्राधिकरण को महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रतिष्ठा की हानि भी होती है। संविदाकार/ कंसेसनेयर को पूर्णता प्रमाणपत्र (सीसी)/ अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) जारी करना यह प्रमाणित करता है कि परियोजना जनता के सुरक्षित और विश्वसनीय उपयोग के लिए पूर्ण हो गई है। इसके अलावा, संविदा/ रियायत करारों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, सीसी/ पीसीसी एक ऐसी घटना है जो परियोजना में केवल एक बार होती है।

Background: Timely completion of National Highway/ Expressway Projects is of eminent importance. Delays in Project execution/ completion not only defer the collection of User Fee causing huge loss to Govt. exchequer but also cause inconvenience to the Users along with significant financial and reputational loss to the Authority. Issuance of Completion Certificate (CC)/ Provisional Completion Certificate (PCC) to the Contractor/ Concessionaire certifies that the Project is completed for safe and reliable use of the Public. Further, as per extant provisions of the Contract/ Concession Agreements, CC/ PCC is an event which occurs only once in a Project.

हालांकि, ऐसे मामले देखे गए हैं जहां बोलीदाता संविदाकारों या व्यक्तिगत संयुक्त उद्यम (जेवी) सदस्यों को उनके संबंधित उप-संविदा करार/ आनुपातिक जेवी हिस्सेदारी के अनुसार उनके दायरे के तहत उनके द्वारा निष्पादित कार्यों के हिस्से के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए पूर्णता प्रमाणपत्र (सीसी) / अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) के आधार पर पात्रता का दावा करते हैं, जो कि पूरी परियोजना के पूर्ण होने/ अनंतिम रूप से पूर्ण होने के लिए मुख्य संविदाकार/ कंसेसनेयर को प्राधिकरण अभियंता/ स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी किए गए सीसी/ पीसीसी के अतिरिक्त है।

However, instances have been observed where Bidders claim eligibility based on sub-contracting works on the basis of Completion Certificates (CC) / Provisional Completion Certificates (PCC) issued to Sub-Contractors or individual Joint Venture (JV) Members by the Client for the part of works executed by them under their scope as per their respective sub - Contract agreement/ proportionate JV share, in addition to the CC/ PCC issued by the Authority's Engineer/ Independent Engineer to the main Contractor/ Concessionaire for completion/ provisional completion of entire Project.

Contd....2/-

उप-संविदाकारों या व्यक्तिगत संयुक्त उद्यम (जेवी) सदस्यों के पक्ष में जारी किए गए पूर्णता प्रमाणपत्र (सीसी) / अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) न तो संविदा/ रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित और विश्वसनीय उपयोग के लिए परियोजना के पूरा होने को सुनिश्चित करते हैं और न ही यह स्थापित करते हैं कि उप-संविदाकार/ जेवी सदस्य के पास परियोजना के सभी तत्वों को सुरक्षित रूप से, विश्वसनीय रूप से और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यक पात्रता है।

Completion Certificates (CC) / Provisional Completion Certificates (PCC) issued in favour of Sub-Contractors or individual Joint Venture (JV) Members neither ascertain completion of the Project for safe and reliable use as per provisions of the Contract/ Concession Agreement nor establishes that the sub-contractor/ JV Member has requisite eligibility to complete all elements of a Project safely, reliably, and within the scheduled timelines.

2. प्रदर्शन की अनिश्चितता को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित संविदा/ रियायत करार में प्रदान की गई मूल समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के सिद्ध पिछले अनुभव वाले बोलीदाता/इकाइयां हैं, ईपीसी मोड पर प्रदान की जाने वाली परियोजना के लिए आरएफपी के खंड 2.2.2.2(ii) के संबंध में तकनीकी पात्रता मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

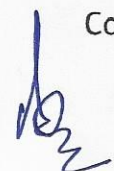
In order to minimize the uncertainty of performance and ensure that bidders/entities with proven past experience of completing Projects within the original timelines provided in the respective Contract/ Concession Agreement, it has been decided to modify the technical eligibility criteria with respect to Clause 2.2.2.2(ii) of RFP for the Project to be awarded on EPC mode.

3. **संशोधित तकनीकी पात्रता मानदंड:** कार्यकारिणी समिति (ईसी) ने ईपीसी मोड पर प्रदान किए जाने वाले परियोजना के लिए आरएफपी के खंड 2.2.2.2(ii) के निम्नलिखित संशोधन को अनुमोदित किया है:

Modified Technical Eligibility Criteria: The Executive Committee (EC) has approved following modification of Clause 2.2.2.2(ii) of the RFP for the Project to be awarded on EPC mode:

खंड संदर्भ	विवरण	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
खंड 2.2.2.2 (ii)	एकल कार्य मानदंड (निष्पादित समान कार्य)	सामान्य राजमार्ग परियोजनाओं (बड़े पुलों/आरओबी/फ्लाईओवरों/सुरंगों सहित) के लिए: बशर्ते कि कम से कम निम्नलिखित में से कोई एक: i. पूर्ण किए गए दो समान कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत अनुमानित परियोजना लागत के 25% के बराबर राशि से कम न हो; अथवा ii. पूर्ण किया गया एक समान कार्य जिसकी लागत अनुमानित परियोजना लागत के 35% के बराबर राशि से कम न हो खंड 2.2.2.5 में निर्दिष्ट श्रेणी 1 और/या श्रेणी 3 में पात्र परियोजनाओं में से पूरा किया गया होना चाहिए।	सामान्य राजमार्ग परियोजनाओं (बड़े पुलों/आरओबी/फ्लाईओवरों/सुरंगों सहित) के लिए: बशर्ते कि कम से कम: एक पूर्ण परियोजना अर्थात, हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर निष्पादित परियोजना के मामले में मूल नियत पूर्णता तिथि + 90 दिनों के भीतर (बिना किसी ईओटी के) संविदाकार/ कंसेसनेयर को जारी किया गया परियोजना का पूर्णता प्रमाणपत्र/ अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) या इंजीनियरी, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) मोड पर निष्पादित परियोजना के मामले में मूल नियत पूर्णता तिथि + 30 दिनों के भीतर (बिना किसी ईओटी के) जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र (सीसी), राष्ट्रीय राजमार्ग या 4 - लेन या उससे अधिक विन्यास वाले द्रुतमार्ग के लिए, जिसकी कार्य लागत परियोजना की <u>अनुमानित परियोजना लागत</u> के 35% के बराबर राशि से कम न हो -

		इसके लिए संबंधित ग्राहक (ग्राहकों) से प्रमाणपत्र आवश्यक होंगे। यदि दावा की गई/की गई परियोजना उप-संविदा/जैवी परियोजना हैं, तो ऐसे मामले में सरकारी प्राधिकरण/ग्राहक से अनुमोदन आवश्यक है (मूल संविदा में अनुज्ञेय उप-संविदा सीमा/जैवी हिस्सेदारी तक सीमित)। इस उद्देश्य के लिए, एक परियोजना को तब पूरा माना जाएगा, यदि कार्य के मूल्य का 90% से अधिक पूरा हो चुका हो और कार्य का ऐसा पूरा हुआ मूल्य बोली देय तिथि से पहले के पिछले 5 (पांच) वित्तीय वर्षों में या बोली देय तिथि तक उपर्युक्त मानदंडों के बराबर या उससे अधिक हो। पात्र परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे: (क) एनएच/एसएच/द्रुतमार्ग पर या सीआरएफ, आईएससी/ईआई, एसएआरडीपी, एलडब्ल्यूई के तहत ली गई सड़क के किसी भी श्रेणी पर चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण/श्रेणीकरण कार्य	एकल परियोजना - अर्थात्, बोली देय तिथि से पहले के पिछले 5 (पांच) वित्तीय वर्षों में या बोली देय तिथि तक _____ करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर)। यदि दावा की गई/की गई परियोजना जैवी परियोजना हैं, तो ऐसे मामले में सरकारी प्राधिकरण से अनुमोदन आवश्यक है (मूल संविदा में जैवी हिस्सेदारी तक सीमित)। <u>खंड 2.2.2.2 (ii) के अनुसरण में योग्यता के उद्देश्यों के लिए निविदा दाता द्वारा उप-संविदाकार के रूप में निष्पादित कार्यों को पात्र कार्य/ परियोजना नहीं माना जाएगा।</u> <u>(i) उप-संविदाकार को:</u> <u>(ii) संयुक्त उद्यम के व्यक्तिगत सदस्य को जारी किए गए</u> <u>पूर्णता प्रमाणपत्र/ अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र:</u> <u>को खंड 2.2.2.2 (ii) के अनुसरण में योग्यता के उद्देश्यों के लिए पात्र परियोजना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</u> संदेह निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 'समान पूर्ण किए गए कार्य' का तात्पर्य ऐसे पूर्ण किए गए कार्य के घटकों से है जो उस कार्य के समान हों जिसके लिए बोली आमंत्रित की गई है। कार्य निष्पादन, जिसमें सभी प्रमुख घटक शामिल नहीं हैं, को समान कार्य का पूर्ण होना नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, समान पूर्ण किए गए कार्य के लिए अनुभव का दावा करने के लिए, निविदा दाता को परिशिष्ट-1ए के अनुलग्नक-IV में निर्दिष्ट वैधानिक लेखापरीक्षक/ग्राहक के प्रमाणपत्र के अतिरिक्त परिशिष्ट-1ए के अनुलग्नक-IX में संलग्न अनुभव प्रस्तुत करना होगा।
--	--	---	--



		(ख) बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण सहायता के साथ या बीओटी आधार पर एमडीआर पर चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण/श्रेणीकरण कार्य (ग) नगर निगम की सीमाओं में सड़कों का चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण/श्रेणीकरण कार्य, बाईपासों का निर्माण (घ) स्टैंड-अलोन पुलों, आरओबी, सुरंगों का निर्माण (ङ) हवाई अड्डे के रनवे जैसी रैखिक परियोजनाओं का निर्माण/पुनर्निर्माण। (च) रेलवे/मेट्रो के वायाडक्ट्स (छ) बंदरगाहों के कंटेनर प्रांगण संदेह निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 'समान पूर्ण किए गए कार्य' का तात्पर्य ऐसे पूर्ण किए गए कार्य के घटकों से है जो उस कार्य के समान हों जिसके लिए बोली आमंत्रित की गई है। कार्य निष्पादन, जिसमें सभी प्रमुख घटक शामिल नहीं हैं, को समान कार्य का पूर्ण होना नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, समान पूर्ण किए गए कार्य के लिए अनुभव का दावा करने के लिए, निविदा दाता को परिशिष्ट-IA के अनुलग्नक-IV में निर्दिष्ट वैधानिक लेखापरीक्षक/ग्राहक के प्रमाणपत्र के अतिरिक्त परिशिष्ट-IA के अनुलग्नक-IX में संलग्न अनुभव प्रस्तुत करना होगा। भाराराप्रा द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के लिए, अनुभव प्रमाणपत्र परियोजना निदेशक की सिफारिश के आधार पर भाराराप्रा मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा जारी किया जाएगा।	भाराराप्रा द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के लिए, अनुभव प्रमाणपत्र परियोजना निदेशक की सिफारिश के आधार पर भाराराप्रा मुख्यालय में संबंधित महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा जारी किया जाएगा। इस आरएफपी में इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, आरएफपी के उपरोक्त खंड 2.2.2.2(ii) की आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करना निविदा दाता की जिम्मेदारी होगी, अन्यथा निविदा दाता को परियोजना के लिए अप्रतिक्रियाशील माना जाएगा।
--	--	--	--

Clause reference	Particulars	Existing Provision	Modified Provision
Clause 2.2.2.2 (ii)	Single Work Criteria (Similar Work executed)	For normal Highway Projects (including Major Bridges / ROB / Flyovers/Tunnels): Provided that at least either of the following: i. Two similar completed works costing not less than amount equal to 25% each of Estimated Project Cost; OR ii. One similar completed work costing not less than amount equal to 35% of Estimated Project Cost shall have been completed from the Eligible Projects in Category 1 and/or Category 3 specified in Clause 2.2.2.5. Certificates from concerned client(s) shall be required for the same. In case the claimed Project/(s) are subcontracting/JV Project in such a case Approval from the Govt. Authority/Client is required (restricted to allowable sub-contracting limit/JV share in original contract). For this purpose, a Project shall be considered to be completed, if more than 90% of the value of work has been completed and such completed value of work is equal to or more than the above mentioned criteria in the last 5 (five) financial years preceding the Bid Due Date or till the Bid Due Date. Eligible Projects shall include the following: (a) Widening/reconstruction/ up-gradation works on NH/SH/Expressway or on any category of road taken up under CRF, ISC/EI, SARDP, LWE	For normal Highway Projects (including Major Bridges/ ROB/ Flyovers/ Tunnels): Provided that at least: one COMPLETED Project i.e., <u>Completion Certificate/ Provisional Completion Certificate (PCC) of the Project issued to the Contractor/ Concessionaire</u> within the Original Scheduled Completion Date + 90 days (without any EOT) in case Project executed on Hybrid Annuity Mode (HAM) or <u>Completion Certificate (CC)</u> issued within Original Scheduled Completion Date + 30 days (without any EOT) in case Project executed on Engineering, Procurement and Construction (EPC) mode, for National Highway or Expressway with 4 - lane or above configuration with work costing not less than amount equal to 35% of <u>Estimated Project Cost</u> of the Project - Single Project - i.e., Rs. ____ Crore (exclusive of GST) in the last 5 (five) financial years preceding the Bid Due Date or till the Bid Due Date. In case the claimed <u>Project(s)</u> are <u>JV Project in such a case Approval from the Govt. Authority</u> is required (restricted to JV share in original contract).

	(b) Widening/reconstruction /up-gradation works on MDRs with loan assistance from multilateral agencies or on BOT basis (c) Widening/reconstruction /up-gradation work of roads in Municipal corporation limits, construction of Bypasses (d) Construction of stand-alone bridges, ROB's, tunnels (e) Construction/reconstruction of linear Projects like airport runways. (f) Viaducts of railways/metro (g) Container yard of ports For the avoidance of doubt, it is clarified that 'similar completed work' shall mean a completed work components similar to the work for which bid has been invited. Execution of work, which does not include all major components, shall not be considered as completion of similar work. Furthermore, in order to claim experience for similar completed work, the bidder must submit the Experience attached at Annexure-IX of Appendix-IA, in addition to the certificate from the Statutory Auditor/Client as specified in Annex-IV of Appendix-IA. For the Projects executed by NHAI, the Experience Certificate shall be issued by the concerned GM (T) at NHAI HQ based on the recommendation of the Project Director.	<u>Works executed by the Bidder as a Sub-contractor shall not be reckoned as eligible work/ Project for qualification purposes pursuant to clause 2.2.2.2 (ii).</u> <u>Completion Certificate/ Provisional Completion Certificate issued:</u> <u>(i) to Sub-contractor;</u> <u>(ii) to individual member of Joint Venture</u> <u>shall not be considered for eligible Project for qualification purposes pursuant to clause 2.2.2.2 (ii).</u> For the avoidance of doubt, it is clarified that 'similar completed work' shall mean a completed work components similar to the work for which bid has been invited. Execution of work, which does not include all major components, shall not be considered as completion of similar work. Furthermore, in order to claim experience for similar completed work, the bidder must submit the Experience attached at Annexure-IX of Appendix-IA, in addition to the certificate from the Statutory Auditor / Client as specified in Annex-IV of Appendix-IA.
--	--	--

			For the Projects executed by NHAI, the Experience Certificate shall be issued by the concerned GM (T) at NHAI HQ based on the recommendation of the Project Director (PD). Notwithstanding anything to the contrary contained in this RFP, it shall be the responsibility of the Bidder to ensure the compliance of the requirement of above clause 2.2.2.2(ii) of RFP, else the bidder will be considered non-responsive for the Project.
--	--	--	--

4. **प्रयोज्यता:** आरएफपी के खंड 2.2.2.2(ii) के संबंध में उपर्युक्त संशोधित योग्यता मानदंडों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ प्रकरण के अनुसार पूरे भाराराप्रा में समान रूप से अपनाया जा सकता है जहां परियोजना को समय पर पूरा करने को अत्यंत प्राथमिकता दी जाती है।

Applicability: The above-modified qualification criteria with respect to Clause 2.2.2.2(ii) of the RFP may be adopted uniformly throughout NHAI on a case-to-case basis with the approval of Competent Authority where the timely completion of the Project is considered of utmost priority.

5. सभी संबंधित अधिकारियों को ऐसी प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए आरएफपी का मसौदा तैयार करते और अनुमोदित करते समय इन संशोधित प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

All concerned Officers are directed to ensure strict compliance with these modified Provisions while drafting and approving RFPs for such priority Projects.

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

[Handwritten Signature]
26/09/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनाार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.